उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ, 226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–30–स0प्र0–12/पाकालि/2019–7–स0प्र0–12/18 दिनांक 28 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (सम्प्रति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0) के आवास की अनुमन्यता विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–2025– एन0जी0–09 (अ) राविप/89–5 (2) क्यू/81, दिनांक 01.07.1989 द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके मूल वेतनमान के आधार पर, स्तम्भ–2 में दिनांक 01.04.1984 से पुनरीक्षित वेतनमान को अब स्तम्भ–3 में दर्शाये गए सातवें वेतन आयोग दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के आधार पर नीचे दी गयी तालिका में दर्शाये गए श्रेणी के आवास अनुमन्य होगें:–

कम सं0	दिनांक 01.04.84 से पुनरीक्षित वेतनमान (स्तम्भ–2)	सातवॉ वेतन आयोग दिनांक (01.01.2016) से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स (स्तम्भ–3)	कारपोरेशन आवास की श्रेणी
1.	रू0 900–1190	रू0 19900 (लेवल–1)	श्रेणी –1
2.	रू0 1000–1360	रू0 21700 (लेवल–2)	
3.	रू0 1100–1575	रू0 22400 (लेवल–3)	
4.	रू0 1200–1800	रू0 27200 (लेवल–4)	श्रेणी–2
5.	रू0 1350–2160	रू0 29800 (लेवल–5)	
6.	रू0 1650–2690	रू0 36800 (लेवल–6)	
7.	रू0 1850–2930	रू0 36800 (लेवल–6)	
8.	रू0 1800–3150	रू0 36800 (लेवल–6)	श्रेणी–3
		रू0 44900 (लेवल–7)	
9.	रू0 2225–3500	रू0 47600 (लेवल–8)	
10.	रू0 2600–4000	रू0 56100 (लेवल–10)	
11.	रू0 3400–4750	रू0 67700 (लेवल–11)	श्रेणी–4
12.	रू0 4250–5600	रू0 1,23,100 (लेवल–12)	
13.	रू0 5000–6300	रू0 1,31,100 (लेवल–13)	
14.	रू0 5900–7100	रू0 1,44,200 (लेवल–14)	श्रेणी–5
15.	रू0 6700–7500	रू0 1,71,400 (लेवल–15)	

2. इस सम्बन्ध में अधिकारियों/कर्मचारियों की पावर कारपोरेशन के आवासों के प्रति पात्रता उनके पद विशेष के पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के अनुसार ही होगी। समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी0 की सुविधा पाकर उच्च वेतनमान में पहुंच जाने से पात्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और अप्रभावित ही रहेगी।

कमशः .....2.....

3. इन आदेशों के निर्गमनोपरान्त पावर कारपोरेशन के आवासों में निवास कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों की आवास पात्रता में यदि कोई परिर्वतन आता है और यह पाया जाता है कि उसे जो आवास मिला हुआ है वह वर्तमान नीति के अनुसार अनुमन्य श्रेणी से उच्च श्रेणी का है तो ऐसी स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी से वर्तमान आवास खाली नहीं कराया जायेगा किन्तु आवास के अनुसार ही उससे किराया लिया जायेगा। ऐसे पावर कारपोरेशन के आवास, अधिकारी/कर्मचारी विशेष के स्थानान्तरण पर ही खाली कराये जा सकेंगे।

4. यह आदेश किसी भी संवर्ग के कार्मिकों द्वारा भविष्य में वेतन पुनरीक्षण/समतुल्यता आदि का लाभ प्राप्त करने हेतु दृष्टान्त नहीं माना जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अध्यक्ष

संख्या– 30 (1)–स0प्र0–12/पाकालि/19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण–2, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/ मुख्य अभियन्ता (जॉच समिति), उ0प्र0पा0का0लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
11. संयुक्त सचिव (स0प्र0) एवं अध्यक्ष "मुख्यालय आवास आवंटन समिति", उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त सदस्य, "मुख्यालय आवास आवंटन समिति", उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0।
14. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0।
15. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
19. कट फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार भटनागर)
अनु सचिव (स0प्र0–12)